छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)

(Formely Kanpur University, Kanpur)

Kalyanpur, Kanpur-208024

कल्यानपुर, कानपुर–208024

परीक्षा समिति की 11वीं बैठक (आपात) दिन सोमवार, दिनांकः 09.01.2023

कार्यवृत्त

आज दिनांक 09.01.2023, दिन सोमवार को अपरान्हः 03:00 बजे सेण्टर फॉर एकेडिमिक्स भवन स्थित कार्यपरिषद कक्ष में परीक्षा समिति की आपात बैठक ऑनलाइन माध्यम से सम्पन्न हुई, बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे :–

1.	प्रो0 सुधीर कुमार अवस्थी, आचार्य/प्रति–कुलपति, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे. एम.यू., कानपुर।	अध्यक्ष
2.	प्रो0 संदीप सिंह, डीन, आर्टस, ह्यूमैनिटीज़ एण्ड सोसल साइंसेज, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर।	सदस्य
3.	प्रो0 संजय कुमार स्वर्णकार, आचार्य, अंग्रेजी विभाग, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर।	सदस्य
4.	प्रो0 सुधांशु पाण्ड्या, डीन, प्रशासन, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर।	सदस्य
5.	प्रो0 अंशू यादव, आचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर।	सदस्य
6.	डॉ0 अशोक कुमार पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय, जनता कालेज, बकेवर, इटावा।	सदस्य
7.	प्रो0(श्रीमती) रोली शर्मा, आचार्य, जीवन विज्ञान, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर।	सदस्य
8.	प्रो0 विवेक द्विवेदी, प्राचार्य, बी.एन.डी. कॉलेज, कानपुर।	सदस्य
9.	डॉ0 मृदुलेश सिंह, एसो0प्रो0, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर।	सदस्य
10.	डॉ0 एम0एच0 सिद्दीकी, प्राचार्य, हलीम मुस्लिम पी.जी. कालेज, कानपुर।	सदस्य
11.	डॉ0 बी0डी0 पाण्डेय, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
12.	डॉ0 अनिल कुमार यादव, कुलसचिव, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर।	सदस्य
13.	डॉ0 अंजनी कुमार मिश्र, परीक्षा नियन्त्रक, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर।	सदस्य
विशेष आमंत्रित सदस्य		
1.	डॉ0 आर0के0 द्विवेदी, निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर।	विशेष आमन्त्रित सदस्य
2.	डॉ0 रिपुदमन सिंह, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।	विशेष आमन्त्रित सदस्य
3.	डॉ0 शशिकान्त त्रिपाठी, विभागाध्यक्ष, लीगल स्टडीज, सी.एस.जे.एम.यू. कानुपर।	विशेष आमन्त्रित सदस्य

मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गये–

मद सं0–2023.11.01

याचिका संख्या 38433/2022 तनवीर इस्लाम सिद्दकी एवं सात अन्य बनाम यू0जी0सी0 एवं अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 03.01.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में विचार।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सन्दर्भित याचिका में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 03.01.2023 में उल्लिखित है कि विश्वविद्यालय के अधिवक्ता द्वारा यह आपत्ति प्रस्तुत की गयी है कि एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित अध्यादेशों के बिन्दुओं के सापेक्ष परीक्षा समिति द्वारा व्याख्या कर निर्णय लिया जा सकता है जो अन्तिम रूप से मान्य होगा।

मा0 उच्च न्यायालय के सन्दर्भित आदेश में उल्लिखित है कि त्रिवर्षीय एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम हेतु यह प्रावधानित है कि उक्त पाठ्यक्रम अधिकतम 06 वर्षो की अवधि में पूर्ण किया जाना है, तथापि अध्यादेश के

09.01.23

बिन्दु 07 में उल्लिखित है कि पाठ्यक्रम के छठें सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त विश्वविद्यालय विशेष बैक पेपर परीक्षा का आयोजन करेगा जिसमें परीक्षार्थी किसी भी सेमेस्टर की बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र होगा।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय से अन्तरिम आदेश प्रदान किये गये हैं कि एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम हेतु परीक्षाएं दिनांक 13.02.2023 से प्रस्तावित है। अतः प्रकरण के सम्बन्ध में परीक्षा समिति 05 दिवसों के अन्तर्गत निर्णय प्रदान करें तथा परीक्षा समिति द्वारा प्रकरण में लिये गये निर्णय को याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित अग्रिम तिथि दिनांक 09.01.2023 को मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्तुत है कि याचीगण एल0एल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2015–18 के छात्र है तथा उनकी छठें सेमेस्टर की परीक्षा सत्र 2020–21 में सम्पन्न हुयी है। सन्दर्भित अध्यादेश में प्रावधानित है कि पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 06 वर्ष निर्धारित है अर्थात याचिकाकर्ताओं को उक्त पाठ्यक्रम सत्र 2020–21 में पूर्ण किया जाना वांछित था।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत मा0 उच्च न्यायालय के संलग्न अंतरिम आदेश दिनांक 03.01.2023 के अनुपालन में मा0 समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत।

<u>निर्णय</u>

परीक्षा समिति द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेश का अनुशीलन किया गया। विश्वविद्यालय के अध्यादेश के पैरा 5 के प्रभावी अंश A Candidate will have to clear the LL.B. (Three Year Course) in maximum of Six years. If he fails to pass the examination during this period, he will be deemed to have abandoned the course and shall not be readmitted in these courses. के अनुसार L.L.B. पाठ्यक्रम तीन वर्षो का है, जिसे एक छात्र/छात्रा अधिकतम छः वर्षो में पूर्ण कर सकता है। अध्यादेश के अनुसार यदि कोई छात्र/छात्रा किसी सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होता है या किसी पेपर में अनुत्तीर्ण होता है, तो उक्त सन्दर्भित सेमेस्टर की आगामी परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण कर सकता है। अध्यादेश में पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष है, जिसे अधिकतम् छः वर्षो में पूर्ण करने की अनुमति अध्यादेश प्रदान करता है। उक्त छः वर्षो के अतिरिक्त अन्य कोई अवसर प्रदान करने का उल्लेख अध्यादेश में नहीं है। अध्यादेश का पैरा 7 निम्नवत् है :–

Improvement :

A candidate can reappear at the rate of one paper in each Semester, as back paper, for improving his marks/division. But this facility will be available to those candidates only who pass the However, the inter-se merit of the candidate shall be determined on the basis of marks obtained in the First examination.

The University will hold SPECIAL BACK PAER Examination for L.L.B.
Sixth Semester students as soon as possible after the results of L.L.B.
Sixth Semester have been declared and the outgoing student of L.L.B.
Sixth Semester will be provided an opportunity to clear Back Papers in different semesters.

अध्यादेश का उक्त पैरा सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को किसी एक पेपर मे इम्प्रूवमेन्ट के लिए तत्सम्बन्धी आगामी सेमेस्टर परीक्षा में बैक पेपर के लिए आवेदन करने हेतु अनुमति प्रदान करता है। साथ ही छठे सेमेस्टर छात्र/छात्राओं के लिए उक्तानुसार तदनुक्रम में इम्प्रूवमेन्ट हेतु विश्वविद्यालय द्वारा यथाशीघ्र स्पेशल बैक पेपर परीक्षा का आयोजन कराये जाने हेतु प्रावधानित है। उक्तानुसार विश्वविद्यालय के अध्यादेश में छः वर्ष के अतिरिक्त कोई अन्य समय सीमा प्रदान किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, अतएव इम्प्रूवमेन्ट की सुविधा छः वर्ष की निर्धारित अवधि के अन्दर ही पूर्ण किये जाने की है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों के परिशीलनोपरान्त परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि याचिकाकर्ताओं को अध्यादेश में उल्लिखित छः वर्षो में पाठ्यक्रम को पूर्ण किये जाने के अतिरिक्त कोई अन्य अवसर प्रदान न किया जाए।

09.01.23

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्या0

मा0 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद

मद सं0–2023.11.01

मेडिकल परीक्षाओं के उपरान्त परीक्षार्थियों हेतु चैलेन्ज/स्क्रुटिनी/पुनर्मूल्यांकन की प्रचलित व्यवस्था को समाप्त किये जाने पर विचार

मेडिकल परीक्षाओं के उपरान्त परीक्षार्थियों हेतु चैलेन्ज/स्क्रुटिनी/पुनर्मूल्यांकन की प्रचलित व्यवस्था के सन्दर्भ में जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर के प्राचार्य द्वारा समय–समय पर अवगत कराया गया कि वर्तमान व्यवस्था का उल्लेख एम0सी0आई0 (वर्तमान एन0एम0सी0) में नही है, बल्कि मूख्य परीक्षा के 30 से 45 दिन के अन्दर पूरक परीक्षा (सप्ली.) कराये जाने की व्यवस्था है। यदि मेडिकल/पैरामेडिकल/नर्सिग पाठ्यक्रमों की पूरक परीक्षा 30 दिन से 45 दिन के अन्दर करायी जाती है तो वर्तमान प्रचलित पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया का अनुपालन इतने अल्प समय में किया जाना सम्भव नही है। अतएव उपरोक्त की समीक्षा हेतु दिनांक 30 नवम्बर, 2022 को आयोजित विश्वविद्यालय की 10वीं परीक्षा समिति की बैठक के मद संख्या–2022.10.09 (ख) के माध्यम से परीक्षा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त एक त्रिसदस्यीय समिति गठित किये जाने के निर्णय के अनुपालन में कार्यालय–ज्ञाप सी.एस.जे.एम.वि.वि./सी.ओ.ई./3435/2022 दिनांक 15.12.2022 निम्नवत् समिति का गठन किया गया :–

1. **प्रो0 संजय काला,** प्राचार्य, जी.एस.वी.एम. मेडिकल कॉलेज, कानपुर।
2. **प्रो0 सुधांशु पाण्ड्या,** डीन, एडमिनिस्ट्रेशन, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।
3. **डॉ0 आर0के0 द्विवेदी,** निदेशक, सी.डी.सी., सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।

माननीय समिति की बैठक दिनांक 04.01.2023 के कार्यवृत्त के प्रभावी अंश निम्नवत् हैं :–

माननीय समिति द्वारा उक्त प्रचलित व्यवस्थाओं का अनुशीलन किया गया। साथ ही मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया के दिशा–निर्देश एवं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ में प्रचलित व्यवस्था का भी अनुशीलन किया गया, जिसमें समिति द्वारा यह पाया गया कि :–

"विश्वविद्यालय में वर्तमान में उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की प्रचलित व्यवस्था का उल्लेख मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया में नहीं है। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ में भी यह व्यवस्था प्रचलन में नहीं है।"

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन से असन्तुष्ट परीक्षार्थी/छात्र–छात्राओं हेतु पूर्व में प्रचलित चैलेंज इवैलुवेशन तथा वर्तमान में प्रचलित पुनर्मूल्यांकन व्यवस्था का उल्लेख मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया में न होने तथा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ में भी यह व्यवस्था प्रचलन में न होने के कारण समिति का सर्वसम्मत से यह अभिमत है कि उक्त व्यवस्था वर्तमान में अप्रासांगिक होने के कारण समाप्त कर दिया जाये। साथ ही समिति का यह भी अभिमत है कि मेडिकल/पैरामेडिकल की परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण छात्र–छात्राओं की पूरक परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा एम.सी.आई. द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर सम्पन्न करा ली जाये।

निर्णय

उपर्युक्त सन्दर्भित समिति के निर्णय को परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए पैरामेडिकल/मेडिकल/नर्सिग पाठ्यक्रम की मुख्य/पूरक (सप्ली.) परीक्षाओं के सम्बन्ध में उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन से असन्तुष्ट परीक्षार्थी/छात्र–छात्राओं हेतु पूर्व में प्रचलित चैलेंज इवैलुवेशन तथा वर्तमान में प्रचलित पुनर्मूल्यांकन व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त किये जाने का निर्णय लिया। स्क्रुटनी की व्यवस्था यथावत रहेगी, जिसके तहत अंको का योग (Totalling), यदि कोई प्रश्न मूल्यांकित होने से रह गया हो (Unchecked Question(s)) उन्हीं पर विचार किया जाएगा।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्या0

अन्त में मा0 प्रति कुलपति जी द्वारा सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

(डॉ0 अंजनी कुमार मिश्र)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव, परीक्षा समिति

09/09/23
(प्रो0 सुधीर कुमार अवस्थी)
प्रतिकुलपति/अध्यक्ष